फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट(एन0आई0एक्ट प्रकरण) संख्या–06
जोधपुर महानगर

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2/23	फौजदारी मूल प्रकरण संख्या / NCV No. 13775/22	
.02.2023	परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। मुलजिम मय अधिवक्ता उपस्थित।	
	परिवादी अधिवक्ता ने मुलजिम के विरूद्ध प्रकरण में विड्रो की दरख्वास्त पेश की एवं जाहिर किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। अब वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है।प्रकरण में परिवादी ने अभियुक्त के साथ राजीनामा होना जाहिर किया। अतः अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 257 सी.आर.पी.सी दोषमुक्त किया जाता है।	
	अतः प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट,
(एन0आई0एक्ट प्रकरण) संख्या–06
जोधपुर महानगर

A6
2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत

(अन्तर्गत धारा 19, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम; 1987)

दिनांक 11/2/23

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

बैंच संख्या– 07

याची / वादी / परिवादी का नाम : धर्मेन्द्र सिंह गौड़

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी का नाम : कालूराम

न्यायालय / प्राधिकरण की कार्यवाही संख्या : विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण) सं0–06 जोधपुर महानगर

ऋण खाता संख्या (यदि लागू हो तो) : .....

लोक अदालत अध्यक्ष का नाम : सुश्री रेनु कुमारी गोयल

सदस्यों का नाम : मनोज सिह

–:अधिनिर्णयः– दिनांक 11/2/23

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले / विषय पर समझौता / परिनिर्धारण पर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि–

पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से वाहमी समझौता जाहिर किया गया है। समझौते के अनुरूप परिवादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा परिवादी लोक अदालत की भावना से प्रत्याहरित कर रहा है लिहाजा समझौते के अनुरूप परिवाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गयी है तो, वह वापस की जाएगी।

हस्ताक्षर
(याची / वादी / परिवादी)

हस्ताक्षर
(प्रतिवादी / प्रत्यर्थी)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

Scanned with OKEN Scanner